संख्या–/21 /ix/26 /2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग,
वी0आई0पी0, जौलीग्रांट एअरपोर्ट,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग –2 देहरादून दिनांक 09 जून. 2008

विषयः– हर्षिल में हैलीपैड निर्माण हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिये देय **NPV** क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि धनराशि का भुगतान वन विभाग को किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–200/ix (3)2005–05(1)/2005–06 दिनांक 25–11–05 जिसके द्वारा हर्षिल मखूबा गांव में हैलीपैड निर्माण हेतु चयनित वन भूमि की की **NPV** की धनराशि जमा किये जाने हेतु रू0 6.00 लाख की धनराशि आपके निर्वतन पर तथा इसी स्थल पर हैलीपैड के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–199 /ix/(3) हैलीपैड/2005–06 दिनांक 25–8–2006 द्वारा रू. 44.17 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत कर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी जिला उत्तरकाशी के निर्वतन पर रखी गई है। इसी कम में शासनादेश संख्या–228/26/ix/08 दिनांक 29–04–08 के कम में सचिव वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–25/7–1(व0भू0ह0)–2008–95(72)/2008 दिनांक 21–04–2008 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल हर्षिल में हैलीपेड के निर्माण हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में कुल 0.65 है0 भूमि के सापेक्ष अधिरोपित **NPV** की देय धनराशि रू0 5.98 लाख (रूपये पांच लाख अठानवे हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू0 6.90 लाख (रू0 छः लाख नब्बे हजार मात्र) के सापेक्ष पूर्व में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25–11–2005 द्वारा जिलाधिकारी उत्तरकाशी के निर्वतन पर रखी गई रू0 6.00 लाख (रूपये छः लाख मात्र) को घटाते हुये अवशेष रूपये 0.90 लाख (रूपये नब्बे हजार मात्र) की धनराशि तथा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि रू0 0.92 लाख (रूपये बयानवे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– उक्त धनराशि के आहरण की अलग से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है, बल्कि इस धनराशि का व्यय हेतु आहरण पूर्व निर्गत शासनदेश संख्या–252/77/ix/2008 स0ना0उ0 दिनांक 22–5–08 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी धनराशि से ही किया जायेगा।

2– मितव्ययता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन विपरीत वास्तविक रूप से ऑकलित धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यार्वतन अन्य मदों में कदापि नही किया जायेगा।

5— उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे ब्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसमें ब्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन ब्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ उक्त सम्बन्ध में मितब्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों में निहित निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला आय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–24 के लेखा शीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूॅजीगत परिव्यय 02–विमान पत्तन 00–आयोजनागत 800–अन्य व्यय 03–हवाई पट्‌टी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–487/xxvii(1)/08 दिनांक 27 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव,

संख्या–/2? /ix/26/2008, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त/बजट अधिकारी, माजरा देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
6– नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग, इन्दिरानगर कालोनी, देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, भटवाडी, जिला उत्तरकाशी।
8– वित्त अनुभाग–02
9– गार्ड फाईल।
10– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव